

#### असाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3815] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 27, 2018/ आश्विन 5, 1940 No. 3815] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 27, 2018/ASVINA 5, 1940

## वस्त्र मंत्रालय

## आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2018

का.आ. 4993(अ).—केन्द्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 1024(अ), तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश की प्रस्तावना के पैरा-4 में "30 जून, 2018 तक" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 अक्टूबर, 2018 तक या अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 9/16/2011-जूट]

पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का. आ. सं. 1024(अ), तारीख 9 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित तथा दिनांक 26 जून, 2018 के का. आ. सं. 3125(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

#### **MINISTRY OF TEXTILES**

#### **ORDER**

New Delhi, the 27th September, 2018

**S.O. 4993(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Textiles, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-Section (ii), *vide* number S.O. 1024(E), dated the 9th March, 2018, namely:—

In the said Order, in the Preamble, in paragraph 4, for the words, figures and letters "upto 30th June, 2018", the words, figures and letters "upto 31st October, 2018 or until further orders, whichever is earlier" shall be substituted.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

PUNEET AGARWAL, Jt. Secy.

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1024(E), dated the 9th March, 2018 and subsequently amended *vide* Notification number S.O. 3125 (E) dated 26th June, 2018.